



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267305
CG-DL-E-31102025-267305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4785]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2025/कार्तिक 8, 1947

No. 4785]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/KARTIKA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4936(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4814(अ), तारीख 21.10.2025 द्वारा तथा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित नियुक्त अधिकारी द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग की जाएंगी, प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :-

- (i) केंद्रीय सरकार, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकती है या उक्त धाराओं के अधीन स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, यदि उसकी राय में, लोकहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है;
- (ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकारी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां
(1)	(2)	(3)
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) तथा विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	धारा 32, 34, 35, 38, 43

2.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	धारा 32, 34, 35, 38, 43
3.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	धारा 32, 34, 35, 38, 43
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी	धारा 25, 28, 31 और 43
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी	धारा 25, 28, 31 और 43
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक	धारा 25, 28, 31 और 43

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2025

S.O. 4936(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby delegates the powers exercisable by it under the provisions of the said Act mentioned in column (3) of the Table shall also be exercised by the officer appointed by the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways *vide number* S.O. 4814(E), dated the 21.10.2025 and mentioned in column (2) of the said Table, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion, such course of action is necessary in the public interest;
- (ii) in the exercise of such powers, the said officers shall comply with such general or special directions, the Central Government may issue from time to time.

TABLE

Sr.No.	Officer	Powers delegated
(1)	(2)	(3)
1.	Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	Sections 32,34,35,38,43
2.	Chairman, National Highways Authority of India	Sections 32,34,35,38,43
3.	Managing Director, National Highways Infrastructure Development Corporation Limited	Sections 32,34,35,38,43
4.	Regional Officers of Ministry of Road Transport and Highways	Sections 25, 28, 31 and 43.
5.	Regional Officers of National Highways Authority of India	Sections 25, 28, 31 and 43.
6.	Executive Directors of National Highways Infrastructure Development Corporation Limited	Sections 25, 28, 31 and 43.

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4937(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा

प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4815(अ), तारीख 21.10.2025 द्वारा तथा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित नियुक्त अधिकारी द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग की जाएंगी, प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :-

- (i) केंद्रीय सरकार, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकती है या उक्त धाराओं के अधीन स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, यदि उसकी राय में, लोकहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है;
- (ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकारी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्रभागीय कार्यालय/परियोजना कार्यान्वयन इकाई या समतुल्य कार्यान्वयन स्थल कार्यालय की अध्यक्षता करने वाला कार्यकारी अभियंता/ परियोजना निदेशक/ महाप्रबंधक या कोई अन्य समतुल्य स्तर का अधिकारी।	धारा 24 और धारा 26 की उपधारा (7) और उपधारा (8) तथा धारा 30, 33, 37 और 43

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

S.O. 4937(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby delegates the powers exercisable by it under the provisions of the said Act mentioned in column (3) of the Table shall also be exercised by the officer appointed by the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways vide number S.O. 4815 (E), dated the 21.10.2025 and mentioned in column (2) of the said Table, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion, such course of action is necessary in the public interest;
- (ii) in the exercise of such powers, the said officers shall comply with such general or special directions, as the Central Government may issue from time to time.

TABLE

Sr.No.	Officer	Powers delegated
(1)	(2)	(3)
1.	Executive Engineer/Project Director/General Manager or any other equivalent level officer heading the Divisional Officer/Project implementation Unit or equivalent Implementation Site Officer of responsible for development, operation and maintenance of National Highways.	Section 24 and sub-sections (7) and (8) of section 26 and sections 30, 33, 37 and 43.

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4938(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4816(अ), तारीख 21.10.2025 द्वारा तथा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित नियुक्त अधिकारी द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग की जाएंगी, प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :-

- (i) केंद्रीय सरकार, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकती है या उक्त धाराओं के अधीन स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, यदि उसकी राय में, लोकहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है;
- (ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकारी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां
(1)	(2)	(3)
1.	जिला मजिस्ट्रेट	धारा 26, 27, 36 तथा 43

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

S.O. 4938(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby delegates the powers exercisable by it under the provisions of the said Act mentioned in column (3) of the Table shall also be exercised by the officer appointed by the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways vide number S.O. 4816 (E), dated the 21.10.2025 and mentioned in column (2) of the said Table, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion, such course of action is necessary in the public interest;
- (ii) in the exercise of such powers, the said officers shall comply with such general or special directions, as the Central Government may issue from time to time.

TABLE

Sr.No.	Officer	Powers delegated
(1)	(2)	(3)
1.	District Magistrate	Section 26, 27, 36 and 43.

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.